

2/
109/2016



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—अध्याखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]

No. 525]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6, 1938
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/SRAVANA 6, 1938

रेल मंत्रालय

(सूचना विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

आरबीई सं. 90/2016

सा.का.नि. 746(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (संशोधित सेवा) नियम, 2016 हो।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रेलवे सेवाओं की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-

(1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अथवा प्रावधान के सिवाय, ये नियम रेल सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।

(2) ये नियम:-

(i) पूर्ण भारतीय राज्यों के रेलवे सेवाओं में सम्मिलित शारीर कर्मचारी बशर्त कि ऐसे कर्मचारी रेलवे सेवा के अंतर्गत सेवा की पूर्ण सम्पत्ति शर्तों द्वारा शामिल हों;

3
109/2016

175

- (ii) विदेशों में राजनयिक, कंसुली अथवा अन्य भारतीय संस्थापनाओं में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;
- (iv) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;
- (v) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान किया जाता है; जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उच्चरी आधार पर भुगतान किया जाता है।
- (vi) संविदा में निहित अन्यथा प्रावधान के विवाय संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;
- (vii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;
- (viii) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्भूत सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें;

पर लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-

- (i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ii) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिमूचना से ठीक पहले की तारीख को रेलवे सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;
- (iii) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिमूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में रेलवे सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।
- (iv) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में रेलवे सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण-

यदि रेलवे सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन", "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" और "विद्यमान वेतनमान" शब्दों का वह अभिप्राय होगा कि - उस पद जो भारत में बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत में काम न कर रहे होने की मूल में, जैसी भी स्थिति हो, उसमें धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान;

4
109/2016

- (v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने में प्राप्त गति अभिप्रेत है;
- (vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुसूची विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;
- (vii) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से, इन नियमों की अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुसूची लेवल अभिप्रेत होगा।
- (viii) "लेवल में वेतन" से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपर्युक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ix) किसी पद के संबंध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उगमे विनिर्दिष्ट लेवल अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।
- (x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी रेलवे सेवक के लेवल में वेतन अभिप्रेत है; और
- (xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

4. पदों के लेवल - संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुसूची विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

5. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण - इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय रेलवे सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई रेलवे सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां रेलवे सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रोन्नति अथवा उन्नयन के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में रखा गया हो तो वह रेलवे सेवक, यथास्थिति, ऐसी प्रोन्नति अथवा उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण 2- उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर रेलवे सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद में स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण 3- यदि कोई रेलवे सेवक भारतीय रेल सेवा स्थापना संहिता, बॉल्यूम I नियम 1313 (एफआर 22) अथवा किसी अन्य विनियम अथवा उस पद के लिए लागू आदेश के अधीन - वेतन संरचना में वेतन ह

S
10/2016

174

विनियमन के प्रयोजन से निम्नलिखित आधार पर शान्तिपूर्ण हैमियत में धरित पद की विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के लिए इस नियम के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसका वसूली वेतन या तो वह वसूली वेतन होगा जो उसके धारणी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा उसका ग्रहणाधिकार प्राप्त होता यदि उसका ग्रहणाधिकार मिलित नहीं किया जाता, के संबंध में विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने पर आहूत किया होता या फिर शान्तिपूर्ण पद का वेतन जो फिलहाल लागू किसी आदेश के अनुसरण में वसूली वेतन बन गया है, इनमें से जो भी अधिक हो।

6. विकल्प का प्रयोग-

- (1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संबंध फॉर्म में लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिवृत्त की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिवृत्त की तारीख के पचासवर्षी किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (3) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा।

बशर्ते कि-

- (i) ऐसा रेलवे सेवक जो ऐसी अधिवृत्त की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, अधिवृत्ति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनिधुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में एक विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर एक प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा और
- (ii) यदि रेलवे कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 को निरावेतन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी छुट्टी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।
- (2) रेलवे सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संबंध फॉर्म में, एक बचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
- (3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के अंदर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि रेलवे सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शामिल होने के विकल्प का चयन कर लिया है।
- (4) एक बार दिया गया विकल्प अंतित्व विकल्प होगा।

टिप्पण 1- ऐसे व्यक्तियों की जिसकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पचासवर्षी समाप्त कर दी गई थी और जो सं वीकृत पदों की समाप्ति, लगभग, चर्खे लगी पर सेवानिवृत्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवानिवृत्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पण 2- ऐसे व्यक्तियों की जिसकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पचासवर्षी समाप्त हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में इस माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके अधिकारों के लिए सर्वाधिक लाभ, ऐसी बात की तारीख से इस

संशोधित वेतन संरचना के विकास का चयन का लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में अगला राशि के भुगतान के लिए आज तक कार्रवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 3- ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2015 को अज्ञित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

7. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण:

- (1) किसी रेलवे सेवक, जो 01 जनवरी, 2015 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में यह दृष्टि विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, धार्य पर जिस पर उसका ग्रहण अधिकार है अथवा यदि ग्रहणाधिकार निर्दिष्ट नहीं किया गया होता तो उसका ग्रहणाधिकार रहा होता, में उसके वस तबिक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित धनापन्न पर में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित सिद्धि में अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में:-

- (i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूप तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में मिलायी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुकूली कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीवी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160	लेवल	1	2	3	4	5
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पचात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुकूली लेवल : लेवल 4	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): 32300.	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	2870	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900

9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

- (iii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन का प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त (i) के अनुमानमान राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर, अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा;
- (iv) चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में फ्रैक्टिसबंदी मर्यादा वीकार्य है, के मामले में वेतन संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:
- (i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की तिथि के अनुमान वीकार्य संशोधन-पूर्व फ्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुकूली राशि हवाहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ऊँचा अगली उपलब्ध कोष्ठिका में किया जाएगा।
- (ii) फ्रैक्टिसबंदी मुक्त की संशोधित दरों के संबंध में आगे चिबि चग किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर वीकार्य संशोधन-पूर्व फ्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण :

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3	वेतन बैंड	15600-39100		
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400	ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन, 15600	लेवल	10	11	12
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000	1	56100	67700	78800
5. मूल वेतन पर 25% फ्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	2	57800	69700	81200
6. फ्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से महंगाई भत्ता : 6563	3	59500	71800	83600
7. 2.57 के फिक्सेड गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन : $21000 \times 2.57 = 53970$	4	61300	74000	86100
8. फ्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ता : 3563 (5250 का 125%)	5	63100	76200	88700
9. क्रम में, 7 और 8 का जोड़ = 60533	6	65000	79000	91400

8
109/2016

10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुसूची लेवल: लेवल 10	
11. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60533 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300	
12. संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	
13. संशोधित वेतन + संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

- (2) यदि किसी पद को मातृवै के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल सिस्टम में पद का उन्नत किया गया है, के तदनुसूची ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जाएगा और फिर वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार निश्चित विधि से किया जाएगा। उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)	लेवल	1	2	3	4	5
4. उन्नत ग्रेड वेतन: 2800	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960 (10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुसूची लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900.	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (3) कोई रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संगणना के लिए विकल्प अवधि की तारीख से संशोधित वेतन संगणना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

9
109/2016

179

- (4) कोई रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन कृती पर है जो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विराम की तारीख में संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
 - (5) निवृत्ति के अधीन रेलवे कर्मचारी निष्पत्ति वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उनका वेतन संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।
 - (6) यदि स्थायी पद धारक कोई रेलवे सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन संरचना का वित्तिय एक लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उस अधिक वेतन माना जाएगा।
 - (7) यदि किसी रेलवे सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियों "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अनिवार्यतया वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली बाकी वृद्धियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
 - (8) यदि कोई रेलवे सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी कांडर में अपने किसी अन्य कर्मि ठ रेलवे सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप-नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कर्मि ठ के वेतन में निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कर्मि ठ का वेतन है।
 - (9) यदि किसी रेलवे सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ उल्लेखित संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आश्चर्य दर्शाने वाला अंतर उस रेलवे सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली बाकी वृद्धियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
 - (10) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई कर्मि ठ रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कर्मि ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पद पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, में कम वेतन आहरित करता है तो कर्मि ठ रेलवे सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कर्मि ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ण पूर्ण करने के अधीन कर्मि ठ रेलवे सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात् :-
 - (क) कर्मि ठ एवं कर्मि ठ दोनों रेलवे सेवक एक ही कांडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी कांडर के समरूप पद हों;
 - (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन-पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना संरचना हों;
 - (ग) प्रोन्नति के समय कर्मि ठ रेलवे सेवक कर्मि ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
 - (घ) विसंगति सीधे तौर पर भारतीय रेल सेवक बाण्डा संहिता, बॉल्यूम II के नियम 1313 (एफआर 22) अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को निर्धारित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो।
- वर्तते कि यदि कोई कर्मि ठ अधिकारी उसे की गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के लिए विद्यमान वेतन संरचना में अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो कर्मि ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

10
10/9/2016

(ii) खंड (i) के अनुसरण में बरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश भारतीय रेल सेवा सथापना संहिता, बॉल्यूम II के नियम 1321 (एफआर 27) के अधीन जारी किए जाएंगे और बरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अपनी संबंधित अर्हक सेवा पूरी करने के पचास अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्याधीन यदि आ-नियम (1) के अधीन स्थापना पद पर यथा-निर्धारित वेतन, उस अधिकारी के वेतन से कम है, तो स्थापना वेतन उस अधिकारी के वेतन के रूप में ही निर्धारित किया जाएगा।

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पचास सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण- 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पचास सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोटिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पचास और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पचास नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोटिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली बाकी वृद्धियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि - वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की सम्यक् कोटिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में 32300 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में संभवतः सीधे की ओर कोटिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पचास उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।	वेतन बैंड		5200-20200				
	श्रेष्ठ वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	
	लेवल	1	2	3	4	5	
	1	18000	19900	21700	25500	29200	
	2	18500	20500	22400	26300	30100	
	3	19100	21100	23000	27100	31000	
	4	19700	21700	23800	27900	31900	
	5	20300	22400	24500	28700	32900	
	6	20900	23100	25200	29600	33900	
	7	21500	23800	26000	30500	34900	
	8	22100	24500	26800	31400	35900	
	9	22800	25200	27600	32300	37000	
					1		
10	23500	26000	28000	33300	38000		
11	24200	26800	29000	34300	39200		

11/10992012

171

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के ध्यान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई।

वशर्त कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिनों नहिं) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित मुनिर्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिनों नहिं) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित मुनिर्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

- क. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में प्रथम संशोधित मुनिर्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद ये वह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
- ख. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में प्रथम संशोधित मुनिर्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद ये वह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

वशर्त कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी।

वशर्त यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

- (3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम से दो विद्यमान गेडों का विलय कर दिया गया है और निचले गेड में पद रखे कर्मि ठ रेलवे सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुकूपी लेवल में नहीं मिलने से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ रेलवे सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कर्मि ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ रेलवे सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

11. 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् तारीख से वेतन का संशोधन - यदि कोई रेलवे कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

12. वेतन ऑफिस कीम के अधीन वेतन प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा: यदि वेतन ऑफिस कीम के अधीन केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण से नियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होगा है जिसके हकदार वे तैनात रहते होते यदि वे वेतन

12
10/1/2016

प्रतिनिधित्व की दबाए अपने मूल काइड में रहे होंगे और यह वेतन आह्वित किया जाता, जो वेतन में ऐसे अन्तर की संख्या, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से वर्तमान वेतन के रूप में की जाएगी।

13. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा:

- (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस एड जियमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4	वेतन पैड	5200-20200				
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
3. प्रोन्नति/असाधारणीपि र कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) प्रैक्टिस-बंदी भत्ता प्राप्त करने वाले रेलवे संस्थानों के संबंध में मूल वेतन+प्रैक्टिस-बंदी भत्ता, शीर्ष लेवल और सर्वोच्च लेवल के लेवल के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

14. वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि - बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

रूपीकरण- इस नियम के प्रयोज्यता: किसी रेलवे संस्थान के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अंग्रेजी में निम्नलिखित के बीच अंतर से है:

- (i) वेतन और महंगाई भत्ते जिसका हवाला इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वा 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़; और
- (ii) वेतन और महंगाई भत्ते जिसका हवाला वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता का जोड़।

15. नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव - रेलवे के मूल नियमों, रेल सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 1947, रेल सेवा (प्राधिकृत वेतन) नियम, 1960, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986, रेल सेवा

(संशोधित वेतन) नियम, 1997 और फैल वेतन (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अथवा उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उपयोगात्मक जहाँ तक कि नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे अर्थात् वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

16. शिथिलीकरण की शक्ति - राष्ट्रपति का समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के परिचायन से किसी विधि ट मामले में असम्यक् कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतुल्य सीमा से कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे, के अध्ययन करते हुए इस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

17. निर्वचन - यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विधि, चयन के लिए इसे उच्च बोर्ड के पास भेजा जाएगा।

अनुसूची

[नियम 3 (vi) और 7 (2) देखें]

भाग - क

वेतन पैट्रन

उन पदों, जिनके लिए अलग से संशोधित वेतन संरचना जारी की गई है, को छोड़कर समूह 'क', 'ख', एवं 'ग' के वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतन संरचना

वेतन रैंक	5200-20200					6300-24800					15300-33100					37400-67000			67000- 79000	75500- 80000	80000
पद संख्या	1800	1900	2000	2400	2800	3200	4000	4800	5400	5400	6600	7800	8700	9900	10900						
वेतन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	18000	19000	21700	25500	29200	35400	44000	47500	53100	56100	57700	78800	118500	131100	144300	162200	105400	225000			
2	18600	20500	22400	26300	30100	36500	45200	49000	54700	57800	59700	81200	122100	135000	148500	167700	211500				
3	19100	21100	23100	27100	31000	37800	47500	50500	56200	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900				
4	19700	21700	23800	27900	31800	38700	49000	52000	57300	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400				
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	58700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100					
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	60500	65000	78500	91400	137800	152000	167200	211300					
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53500	56800	62000	67000	80900	94100	141600	156100	172200	217600					
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	63800	69000	83200	96800	145800	161300	177400	224100					
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	65700	71100	85600	99600	150200	166100	182700						
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	67600	73200	88000	102600	154700	171100	188200						
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	69600	75400	90500	105900	159300	176200	193900						
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	71600	77600	93000	109100	164100	181500	199600						
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	73800	80000	96000	112400	169000	186900	205600						
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	76000	82400	99000	115800	174100	192500	211800						
15	27200	30200	33000	38600	44100	53500	68000	72100	78200	84800	102000	119300	178100	197000	216200						
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	80600	87400	105300	122300	184700	204000							

14
10/12/2016

वेतन बैंच	5200-20200					D300-34000					15000-39100					37400-67000					67000- 79000	75500- 80000	80000
देर वर्ष	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4700	5400	5400	6000	7600	8700	8900	10000								
वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13*	14						15	16	17
17	28800	32000	35000	41000	46800	56300	72100	76000	85000	90000	108800	126600	180200	210300									
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78200	87200	92200	111000	130400	195900	216600									
19	30600	34000	37200	43500	49600	60000	75700	79600	88600	93600	112400	132800	201800										
20	31500	35000	38300	44800	51100	61500	77200	81100	90100	95100	113900	134300	207900										
21	32400	36000	39400	46100	52600	63000	78700	82600	91600	96600	115400	135800	214100										
22	33400	37200	40600	47500	54200	64600	80300	84200	93200	98200	117000	137300	220300										
23	34400	38300	41800	48900	55800	66200	81900	85800	94800	99800	118600	138800	226500										
24	35400	39400	43100	50400	57500	67900	83600	87500	96500	101500	120300	140300	232700										
25	36500	40600	44400	51900	59200	69600	85300	89200	98200	103200	122000	142300	238900										
26	37600	41800	45700	53500	61000	71400	87100	91000	100000	105000	123800	144300	245100										
27	38700	43100	47100	55100	62800	73200	88900	92800	101800	106800	125600	146300	251300										
28	39800	44400	48500	56800	64700	75100	90800	94700	103700	108700	127400	148300	257500										
29	41100	45700	50000	58600	66600	77000	92700	96600	105600	110600	129400	150300	263700										
30	42300	47100	51500	60300	68400	78800	93700	97600	106600	111600	130400	152300	269900										
31	43600	48500	53000	62100	70200	80600	95700	99600	108600	113600	131400	154300	276100										
32	44800	50000	54600	64000	72200	82600	97700	101600	110600	115600	132400	156300	282300										
33	46200	51500	56200	65900	74200	84600	99700	103600	112600	117600	133400	158300	288500										
34	47600	53000	57900	67900	76300	86700	101700	105600	114600	119600	134400	160300	294700										
35	49000	54600	59600	69900	78400	88800	103900	107800	116800	121800	135400	162300	300900										
36	50500	56200	61400	72000	80600	91000	106100	110000	119000	124000	136400	164300	307100										
37	52000	57800	63200	74000	82700	93100	108200	112100	121100	126100	137400	166300	313300										
38	53600	59600	65100	76000	84800	95200	110300	114200	123200	128200	139500	168300	319500										
39	55200	61400	67100	78200	87000	97300	112400	116300	125300	130300	141600	170300	325700										
40	56800	63200	69100	81100	90000	100400	115500	119400	128400	133400	144700	172300	331900										

टिप्पणी

- संशोधित वेतनमान रेलवे कर्मचारियों की वस म कोटियों के लिए, उनके प्रदत्त का विचार किए बिना पूर्णतः वर्तमान वेतनमान के आधार पर लागू हैं, सिवाय उनके, जिनके लिए रेल से असव (रेलवे बोर्ड) द्वारा अल्पकाल विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा।
- संशोधित वेतन ड्रांचे में रेलवे कर्मचारियों का समूह "न" "ब" और "क" में मौजूदा वर्गीकरण अगले आदेशों तक वर्तमान वेतनमान के आधार पर ही रहेगा, सिवाय रेल से असव (रेलवे बोर्ड) द्वारा अल्पकाल विशेष रूप से प्रावधानित। संशोधित वेतनमानों में वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

नियम का फॉर्म

(नियम 6 (2) देखें)

1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैं, _____ अपने निम्न-उल्लिखित वर तबिक संयोजन पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में:

मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख _____ या आतंरिकी वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ होगा। यदि/यदि, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहूति करना छोड़ने/बंद करने तक/ _____ के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक मैंने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

आवधिक जगह में नियुक्त है _____

जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्गत उपबंधों से विपरित रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की रीति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक प्रयत्न या को मेरे अकाया शायी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति में सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

तारीख:

स्थान:

रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का एक टीकरण प्राप्त

नियम 1 - यह नियम बतलू न दें।

नियम 2 - इस नियम में कर्मचारियों जिन पर ये नियम लागू होते हैं, के वर्ग निर्धारित किए गए हैं। उप-नियम (2) के अधीन छोड़े गए वर्गों के सिवाय, ये नियम रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक विभाग में सेवागत व्यक्तियों जिन पर यह दृष्टि का विचार है, पर लागू होते हैं।

नियम 3 और 4 - ये नियम बतलू न दें।

नियम 5 - अर्थात् यह है कि उन कर्मचारियों को मौजूदा वेतन संरचना का चयन करने है, के सिवाय, रेलवे सेवाओं को संशोधित वेतन संरचना में लाया जाए। रेलवे सेवाओं जो विद्यमान वेतन संरचना में रहे रहने के विकल्प का प्रयोग है, 01 जनवरी, 2016 को प्रभावी तारीख पर महंगाई भत्ता प्राप्त करते रहेंगे। यदि कोई रेलवे सेवा वर अधिक हैमियत में जारी है और उच्चतर पद पर संयोजन है, अथवा प्रतिनिधित्व आदि पर न होता तो उसे या अधिकतर पर संयोजन रहा होता तो उसके पास केवल एक

वेतनमान के संबंध में ही विद्यमान वेतन संरचना को बनाए रखने का विकल्प है। ऐसा कोई रेलवे सेवक किसी भी पद अथवा किसी एक यातायात पद के लिए लागू विद्यमान वेतनमान बनाकर रख सकता है। वेतन पदों के संबंध में उसे अनिवार्य रूप से संशोधित वेतन संरचना में शामिल किया जाना होगा।

नियम 6 - इस नियम में वह रीति विहित की गई है जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है और वह प्राधिकारी की निर्धारित किया गया है जिसे ऐसे विकल्प की सूचना दी जाएगी। इस विकल्प का प्रयोग इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में किया जाना है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी रेलवे सेवक के लिए विनिर्दिष्ट संयोजन-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है अतः उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय-सीमा में वह विकल्प विहित प्राधिकारी के पास पहुंच भी जाए। ऐसे व्यक्तियों को इन नियमों की अधिसूचना के समय भारत में बाहर हैं, के मामले में वह अवधि जिसके अंदर इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है, भारत में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह की है। ऐसे रेलवे सेवकों शिवांग पदों की संशोधित वेतन संरचना इस नियमों की जारी किए जाने की तारीख के पचास दिनों की तारीख से शुरू होगी।

ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच संबन्धित हो गए हैं, भी इस विकल्प का प्रयोग करने के अधिकारी हैं।

नियम 7 - यह नियम 01 जनवरी, 2016 की संशोधित वेतनमान में वेतन के उस अधिक निशान से संबंधित है और संलग्न फॉर्म है। इस नियम का नाम ऐसे मामलों में भी कार्य नहीं है जिनमें रेलवे सेवक ने अपने उस अधिक पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना का प्रयोग कर लिया है, किन्तु जिसने किसी यातायात पद के संबंध में विद्यमान वेतनमान को बनाकर रख रखा है।

नियम 8 - इस नियम में, 01 जनवरी, 2016 को अथवा इसके पचास दिनों की तारीख पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निशान की रीति विहित की गई है।

नियम 9 और 10 - इन नियमों में वह रीति विहित की गई है जिसके अंतर्गत वह वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी।

नियम 11 से 17 - ये नियम संलग्न फॉर्म हैं।

[फा. सं. सीपी-III/2016/आरएसआरजी/1]

आर. के. वर्मा, सचिव/सर्वे वीट

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

RRE No. 90/2016

G.S.R. 746(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:—

- (1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. Categories of Railway servants to whom the rules apply:—

- (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to Railway services.
- (2) These rules shall not apply to:—
 - (i) Permanent employees of former Indian States absorbed in Railway services so long as such persons continue to be governed by the pre-absorption conditions of service under the Railway Services;
 - (ii) persons locally recruited for services in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
 - (iii) persons not in whole-time employment.

- (iv) persons paid out of contingencies;
- (v) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
- (vi) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
- (vii) persons re-employed in Railway service after retirement;
- (viii) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

3. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires: -

- (i) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay or pay in the existing scale;
- (ii) "existing Pay Band and Grade Pay" in relation to a Railway servant means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the Railway servant as on the date immediately before the notification of these Rules whether in a substantive capacity or in officiating capacity;
- (iii) "existing scale" in relation to a Railway servant means the pay scale applicable to the post held by the Railway Servant as on the date immediately before the notification of these Rules in the Higher Administrative Grade, Higher Administrative Grade + and the Apex scale whether in a substantive or officiating capacity;
- (iv) "existing pay structure" in relation to a Railway Servant means the present system of Pay Band and Grade Pay or the Pay Scale applicable to the post held by the Railway Servant as on the date immediately before the coming into force of these Rules whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation-

The expressions "existing basic pay", "existing Pay Band and Grade Pay" and "existing scale", in respect of a Railway Servant who on the 1st day of January, 2016 was on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, shall mean such basic pay, Pay Band and Grade Pay or scale in relation to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post, as the case may be;

- (v) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index averages as on 1st day of January, 2016;
- (vi) "Pay Matrix" means Matrix specified in Part A of the Schedule, with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned in corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale;
- (vii) "Level" in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale specified in Part A of the Schedule;
- (viii) "pay in the Level" means pay drawn in the appropriate Cell of the level as specified in Part A of the Schedule;
- (ix) "revised pay structure" in relation to a post means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale of the post unless a different revised Level is notified separately for that post;
- (x) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the pay matrix;
- (xi) "revised emoluments" means the pay in the Level of a Railway servant in the revised pay structure and
- (xii) "Schedule" means a schedule appended to these Rules.

4. **Level of posts:** - The Level of posts shall be determined in accordance with various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale as specified in the Pay Matrix.

5. **Drawal of pay in the revised pay structure:** - Save as otherwise provided in these rules, a Railway servant shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed.

Provided that a Railway servant may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the day on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure.

Provided further that in cases where a Railway servant has been placed in a higher grade pay or scale between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these Rules on account of promotion or upgradation, the Railway servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation as the case may be.

- Explanation 1 –** The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay or scale.
- Explanation 2 –** The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post for the first time in Railway Service or by transfer from another post on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.
- Explanation 3 –** Where a Railway servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing pay structure of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that Pay Structure under Rule 15-13 (FR 22) of Indian Railway Establishment Code, Volume II, or under any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. **Exercise of Option:—**

- (1) The option under the provisos to Rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to these Rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of the date of notification of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by an order subsequent to the date of notification of these rules, within three months of the date of such order.

Provided that—

- (i) In the case of a Railway servant who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
- (ii) where a Railway servant is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Railway servant to the Head of his Office along with an undertaking, in the form appended to these rules.
- (3) If the intimation regarding option is not received by the authority within the time specified in sub-rule (1), the Railway servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.
- (4) The option once exercised shall be final.

Note 1 – Persons whose services were terminated on or after 1st January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

Note 2 – Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is most beneficial to their dependents if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Head of Office.

Note 3 – Persons who were on earned leave or any other leave on 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

7. Fixation of pay in the revised pay structure:

- (1) The pay of a Railway servant who elects, or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if such lien had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:

- (A) in the case of all employees:

- (i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-I	Pay Band					
2. Existing Grade Pay : 2400	5200-20200					
3. Existing Pay in Pay Band : 10160	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
4. Existing Basic Pay: 12560 (10160+2400)	Levels	1	2	3	4	5
5. Pay after multiplication by a fitness factor of 2.57 : 12560 × 2.57 = 32279.20 (rounded off to 32279)	1	18000	19900	21700	23500	25200
6. Level corresponding to GP 2400 : Level 4	2	18500	20500	22400	26300	30100
7. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 32279 in Level 4): 32300	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

- (ii) If the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.
- (B) In the case of medical officers in respect of whom Non Practicing Allowance (NPA) is admissible, the pay on the revised pay structure shall be fixed in the following manner:
- (i) the existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2016. The figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.
- (ii) The pay so fixed under sub-clause (i) shall be added by the revised Non Practicing Allowance admissible on the existing basic pay until further decision on the revised rates of Non Practicing Allowance.

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-3	Pay Band	15600-39100		
2. Existing Grade Pay : 5400	Grade Pay	5400	6600	7600
3. Existing pay in Pay Band : 15600	Levels	10	11	12
4. Existing Basic Pay : 21000	1	56100	67700	78800
5. 25% NPA on Basic Pay : 5250	2	37800	69700	81200
6. DA on NPA @ 125% : 6563	3	59500	71800	83600
7. Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : $21000 \times 2.57 = 53970$	4	61300	74000	86100
8. DA on NPA : 6563 (125% of 5250)	5	63100	76200	88700
9. Sum of serial no. 7 & 8 = 60533	6	65000	78500	91400
10. Level corresponding to Grade Pay 5400 (PB-3) : Level 10				
11. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 60533 in Level 10) : 61300				
12. Pre-revised Non Practicing Allowance : 3250				
13. Revised Pay + pre-revised Non Practicing Allowance : 66550				

- (2) Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the existing basic pay will be arrived at by adding the Pay drawn by the concerned employee in the existing Pay Band plus the Grade Pay corresponding to the Level to which the post has been upgraded and, the fixation of pay shall be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) of sub rule (1).

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-1	Pay Band	5200-20200				
2. Existing Grade Pay : 2400	Grade Pay	1900	1900	2000	2400	2800
3. Existing basic pay : 12560 (10160 + 2400)	Levels	1	2	3	4	5
4. Upgraded Grade Pay : 2800	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. Pay for the purpose of fixation : 12960 (10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. Pay after multiplying serial number 5 with a fitment factor of 2.57 : 33307.20 (rounded off to 33307)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. Level corresponding to Grade Pay 2800 : Level 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 33307 in Level 5) : 33900	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (3) A Railway Servant who is on leave on the 1st day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall be entitled to pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.
- (4) A Railway servant who is on study leave on the 1st day of January, 2016 shall be entitled to the pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option.

- (5) A Railway servant under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- (6) Where a Railway servant holding a permanent post is officiating in a higher post on a regular basis and the pay structure applicable to these two posts are merged into one Level, the pay shall be fixed under sub-rule (1) with reference to the officiating post only and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.
- (7) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Railway servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- (8) Where in the fixation of pay on or after sub-rule (1), the pay of a Railway servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay than and her Railway servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.
- (9) Where a Railway servant is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such Railway servant as personal pay to be absorbed in future increase in pay.
- (10) (i) In cases where a senior Railway servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay of senior Railway servant in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Railway servant subject to the fulfilment of the following conditions, namely:—
- Both the junior and the senior Railway servant belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre;
 - the existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical;
 - the senior Railway servants at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;
 - the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Rule 1313 (FR 22) of Indian Railway Establishment Code Volume II or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure.
- Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this sub-rule shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.
- (ii) The order relating to re-fixation of the pay of the senior officer in accordance with clause (i) shall be issued under Rule 1321 (FR 27) of Indian Railway Establishment Code, Volume II and the senior officer shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.
- (11) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.

8. **Fixation of pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016:** - The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay on the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed.

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in the existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay on the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. **Increments in Pay Matrix:** - The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

22
10/9/2016**Illustration:**

An employee in the Basic Pay of 32300 in Level 4 will move vertically down the same Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 33300.

Pay Band	5200-20200				
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
Levels	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30400
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
				1	
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

10. Date of next increment in the revised pay structure:-

- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July.

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

- (2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

- (a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.
- (b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, 2016 the next increment in the level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016.

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

- (3) Where two existing Grades in hierarchy are merged and the junior Railway servant in the lower Grade happens to draw more pay in the corresponding level in the revised pay structure than the pay of the senior Railway servant, the pay of the senior Railway servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with this rule.

11. **Revision of pay from a date subsequent to 1st day of January, 2016:**—Where a Railway servant who continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than 1st day of January, 2016, his pay in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in accordance with clause (A) of sub-rule (1) of rule 7.

12. **Pay protection to officers on Central deputation under Central Staffing Scheme:**—If the pay of the officers, posted on deputation to the Central Government under Central Staffing Scheme, after fixation in the revised pay structure, either under these rules or as per the instructions regulating such fixation of pay on the post to which they are appointed on deputation, happens to be lower than the pay these officers would have been entitled to, had they been in their parent cadre and would have drawn that pay but for the Central deputation, such difference in the pay shall be protected in the form of Personal Pay with effect from the date of notification of these rules.

13. **Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January, 2016:**—The fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure shall be made in the following manner, namely:—

- (i) One increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

Illustration:

1	Level in the revised pay structure : Level 4	Pay Band	5200-20200				
2	Basic Pay in the revised pay structure : 28700	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
3	Granted promotion/financial upgradation under MACPS, in Level 5	Levels	1	2	3	4	5
		1	18000	19900	21700	25500	29200
		2	18500	20500	22400	26300	30100
4	Pay after giving one increment in Level 4 : 29600	3	19100	21100	23100	27100	31000
		4	19700	21700	23800	27900	31900
5	Pay in the upgraded Level i.e. Level 5 : 30100 (either equal to or next higher to 29600 in Level 5)	5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) In the case of Railway servants receiving Non Practicing Allowance, their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the Apex Level and the level of the Cabinet Secretary.

14. **Mode of payment of arrears of pay:**—The arrears shall be paid during the Financial Year 2016-2017.

Explanation.—For the purpose of this rule, "arrears of pay" in relation to a Railway servant, means the difference between—

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules for the period effective from the 1st day of January, 2015; and
- (ii) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.

15. **Overriding effect of Rules.**—The provisions of the Railway Fundamental Rules, 1947, the Railway Services (Authorised Pay) Rules, 1960, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1986, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 and the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 shall not save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

16. **Power to relax.**-Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. **Interpretation.**- If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these Rules, it shall be referred to the Railway Board for decision.

SCHEDULE

[See rules 3(v) and 7(2)]

PART - A

Pay Matrix

Revised Pay Structure for posts in Group 'C', 'B', & 'A' except posts for which different revised pay structure is issued separately

Existing Pay Band	5200-20200					5100-14800				15600-39100				37400-67000				67000-79000	75500-80000	80000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	9800	10400					
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	18000	19000	21000	23500	26200	38400	41400	43600	51000	54000	67000	76000	87000	118500	131100	144200	182200	205200	229000	
2	18500	20500	22400	26000	29100	39000	42000	44200	51500	54500	67500	76500	87500	119000	131600	144700	182700	205700	229500	
3	19100	21100	23000	27100	31000	39500	42500	44700	52000	55000	68000	77000	88000	119500	132100	145200	183200	206200	230000	
4	19700	21700	23600	27900	31900	39600	42600	44800	52100	55100	68100	77100	88100	119600	132200	145300	183300	206300	230100	
5	20300	22300	24200	28600	32900	39700	42700	44900	52200	55200	68200	77200	88200	119700	132300	145400	183400	206400	230200	
6	20900	22900	24800	29300	33800	39800	42800	45000	52300	55300	68300	77300	88300	119800	132400	145500	183500	206500	230300	
7	21500	23500	25400	30000	34600	39900	42900	45100	52400	55400	68400	77400	88400	119900	132500	145600	183600	206600	230400	
8	22100	24100	26000	30600	35300	40000	43000	45200	52500	55500	68500	77500	88500	120000	132600	145700	183700	206700	230500	
9	22700	24700	26600	31200	35900	40100	43100	45300	52600	55600	68600	77600	88600	120100	132700	145800	183800	206800	230600	
10	23300	25300	27200	31800	36400	40200	43200	45400	52700	55700	68700	77700	88700	120200	132800	145900	183900	206900	230700	
11	23900	25900	27800	32400	37000	40300	43300	45500	52800	55800	68800	77800	88800	120300	132900	146000	184000	207000	230800	
12	24500	26500	29000	33000	37600	40400	43400	45600	52900	55900	68900	77900	88900	120400	133000	146100	184100	207100	230900	
13	25100	28400	31100	33600	38200	40500	43500	45700	53000	56000	69000	78000	89000	120500	133100	146200	184200	207200	231000	
14	25700	29000	32000	34200	38800	40600	43600	45800	53100	56100	69100	78100	89100	120600	133200	146300	184300	207300	231100	
15	26300	29600	32600	34800	39400	40700	43700	46000	53200	56200	69200	78200	89200	120700	133300	146400	184400	207400	231200	
16	26900	30200	33200	35400	39900	40800	43800	46200	53300	56300	69300	78300	89300	120800	133400	146500	184500	207500	231300	
17	27500	30800	33800	36000	40500	40900	43900	46400	53400	56400	69400	78400	89400	120900	133500	146600	184600	207600	231400	
18	28100	31400	34400	36600	41100	41000	44000	46600	53500	56500	69500	78500	89500	121000	133600	146700	184700	207700	231500	
19	28700	32000	35000	37200	41600	41100	44100	46800	53600	56600	69600	78600	89600	121100	133700	146800	184800	207800	231600	
20	29300	32600	35600	37800	42200	41200	44200	47000	53700	56700	69700	78700	89700	121200	133800	146900	184900	207900	231700	
21	29900	33200	36200	38400	42800	41300	44300	47200	53800	56800	69800	78800	89800	121300	133900	147000	185000	208000	231800	
22	30500	33800	36800	39000	43400	41400	44400	47400	53900	56900	69900	78900	89900	121400	134000	147100	185100	208100	231900	
23	31100	34400	37400	39600	44000	41500	44500	47600	54000	57000	70000	79000	90000	121500	134100	147200	185200	208200	232000	
24	31700	35000	38000	40200	44600	41600	44600	47800	54100	57100	70100	79100	90100	121600	134200	147300	185300	208300	232100	
25	32300	35600	38600	40800	45200	41700	44700	48000	54200	57200	70200	79200	90200	121700	134300	147400	185400	208400	232200	
26	32900	36200	39200	41400	45800	41800	44800	48200	54300	57300	70300	79300	90300	121800	134400	147500	185500	208500	232300	
27	33500	36800	39800	42000	46400	41900	44900	48400	54400	57400	70400	79400	90400	121900	134500	147600	185600	208600	232400	
28	34100	37400	40400	42600	47000	42000	45000	48600	54500	57500	70500	79500	90500	122000	134600	147700	185700	208700	232500	
29	34700	38000	41000	43200	47600	42100	45100	48800	54600	57600	70600	79600	90600	122100	134700	147800	185800	208800	232600	
30	35300	38600	41600	43800	48200	42200	45200	49000	54700	57700	70700	79700	90700	122200	134800	147900	185900	208900	232700	
31	35900	39200	42200	44400	48800	42300	45300	49200	54800	57800	70800	79800	90800	122300	134900	148000	186000	209000	232800	

Existing Pay Band	5100-20100					33000-34800					15600-32100					37400-67000					67000-79000	79000-85000	85000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2100	2200	3100	3200	3300	3400	3500	4100	4200	4300	4400	4500	5100	5200	5300	5400	5500			
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17					
21	44500	50900	54200	64000	72800	82700	113500	118300	132000	140100	160700	167200											
22	46200	51500	56200	65900	75000	84200	113800	122900	135700	144300	174800	203100											
23	47600	53000	57900	67800	77200	86500	113900	125000	138000	146600	185200	209200											
24	49000	54600	59600	69700	79400	88800	114000	126200	140000	148600	185400												
25	50500	56200	61400	71800	81900	91500	114100	126400	140100	148700	185600	209600											
26	52000	57800	63200	73800	84200	94000	114200	126500	140200	148800	185700												
27	53600	59600	65100	76000	86700	96800	114300	126600	140300	148900	185800												
28	55200	61400	67100	78200	89100	99500	114400	126700	140400	149000	185900												
29	56900	63200	69100	80400	91600	102300	114500	126800	140500	149100	186000												

Notes:

- The revised pay structure is applicable to all categories of Railway servants irrespective of their designations strictly on the basis of the existing pay structure except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board).
- The existing classification of Railway servants in Group 'C', 'B' & 'A' on the basis of the existing pay structure will continue in the revised pay structure till further orders except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board). No change in the classification should be made in the revised pay structure.

FORM OF OPTION

[See Rule 6 (2)]

1. I, _____ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

2. I, _____ hereby elect to continue on Pay Band and Grade Pay of my substantive / officiating post mentioned below until:

" the date of my next increment / the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. _____ / I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure / the date of my promotion/upgradation to the post of _____

Existing Pay Band and Grade Pay _____

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office in which employed _____

To be scored out, if not applicable.

UNDERTAKING

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Date :

Place :

26
109/2016

MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE RAILWAY SERVICES (REVISED PAY) RULES, 2016

Rule 1 – This rule is self-explanatory.

Rule 2 – This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under sub-rule (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving under the administrative control of the Railway Board.

Rule 3 & 4 – These rules are self-explanatory.

Rule 5 – The intention is that all Railway servants should be brought over to the revised pay structure except those who elect existing pay structure. The Railway Servants who exercise the option to continue in the existing pay structure, will continue to draw the dearness allowance at the rates in force on 1st January, 2016. If a Railway servant is holding permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post, or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc., he has the option to retain the existing pay structure only in respect of one scale. Such a Railway servant may retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised pay structure.

Rule 6 – This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who shall be apprised of such option. The option has to be exercised in the form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Railway servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time of notification of these rules, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Railway servants the revised pay structure of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1st January, 2016 and the date of notification of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 7 – This rule deals with the actual fixation of pay in the revised pay structure on 1st January, 2016 and is self-explanatory. The benefit of this rule is not admissible in cases where a Railway servant has elected the revised pay structure in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.

Rule 8 – This Rule prescribes the method of fixation of pay of employees appointed on direct recruitment on or after 1st day of January, 2016.

Rule 9 & 10 – These rules prescribe the manner in which the next increment in the new pay structure shall be regulated.

Rule 11 to 17 – These rules are self-explanatory.

[F. No. PC-VII/2016/RSRI-1]

R. K. VERMA, Secy./Railway Board